रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 120] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 21, 2005/फाल्गुन 30, 1926

No. 120] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 21, 2005/PHALGUNA 30, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2005

सं. 30/2005-सीमाशुल्क

सा.का.नि. 183(अ).—अभिहित प्राधिकारी, ने सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 32 के अंतर्गत आने वाले चीन गणराज्य, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) में मूलत: उद्गमित या वहां से निर्यात किये गए माइका पर्ल पिगमेंट (जिसे आगे संबद्ध माल कहा गया है) के आयात के मामले में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 23 दिसम्बर, 2003 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/22/2003-डीजीएडी, तारीख, 23 दिसम्बर, 2003 द्वारा पाटनरोधी जांच की शुरुआत की थी—

और अभिहित प्राधिकारी अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं. 14/22/2003-डीजीएडी, तारीख 22 दिसम्बर, 2004 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1, तारीख 22 दिसम्बर, 2004 में प्रकाशित हुई, द्वारा इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि—

(क) संबद्ध देशों में मूलत: उद्गमित या वहां से निर्यात किए गए संबद्ध माल सभी रूपों में, भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है;

(ख) पाटित संबद्ध माल के कम अवतरण मूल्य के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है;

(ग) यह क्षति, संबद्ध देशों में मूलत: उद्गमित या वहां से निर्यात किए गए संबद्ध माल के पाटन के कारण हुई है;

और संबद्ध देशों में मूलत: उद्गमित या वहां से निर्यात किये गए संबद्ध माल के सभी आयातों पर, निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अभिहित प्राधिकारी के उक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर अधोलिखित सारणी के स्तंभ (5) में वर्णित देशों में उद्गमित, उक्त सारणी के स्तंभ (7) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित उत्पादकों द्वारा उत्पादित, भारत में आयात किए गए, ऐसे मालों पर, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित, उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 32 के अंतर्गत आते हैं, जिनका विवरण उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दिया गया है, और जिनकी विशिष्टता उक्त सारणी के स्तंभ (4) की तत्स्थानी प्रविष्टि में दी गई है, जब उनका निर्यात उक्त सारणी के स्तंभ (6) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित देशों से, उक्त सारणी के स्तंभ (8) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा किया जाए, उक्त सारणी के स्तंभ (9) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित राशि, जो कि उक्त सारणी के स्तंभ (11) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित करेंसी और उक्त सारणी के स्तंभ (10) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित प्रति मापन इकाई में व्यक्त है, उसके समतुल्य दर पर प्रतिपाटन शुल्क अधिरोपित करती है।

सारणी

क्रम सं.	अध्याय	वस्तु का विवरण	विनिर्देशन	उदगम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	माप की ईकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	32	कॉस्मेटिक और ऑटोमेटिव ग्रेड को छोड़कर माइका पर्ल रंजक	कोई विनिर्देशन	**ई यू**	ई यू	मै0 मर्क, जर्मनी	मै0 मर्क, जर्मनी	**1.25**	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
2	32	कॉस्मेटिक और ऑटोमेटिव ग्रेड को छोड़कर माइका पर्ल रंजक	कोई विनिर्देशन	ई यू	ई यू	मै0 मर्क, जर्मनी	कोई निर्यातक	**1.25**	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
3	32	कॉस्मेटिक और ऑटोमेटिव ग्रेड को छोड़कर माइका पर्ल रंजक	कोई विनिर्देशन	**ई यू**	कोई देश	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	**1.25**	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
4	32	कॉस्मेटिक और ऑटोमेटिव ग्रेड को छोड़कर माइका पर्ल रंजक	कोई विनिर्देशन	**यू एस ए**	यू एस ए	मै0 मर्क, यू एस ए	मै0 मर्क, यू एस ए	**2.27**	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
5	32	कॉस्मेटिक और ऑटोमेटिव ग्रेड को छोड़कर माइका पर्ल रंजक	कोई विनिर्देशन	**यू एस ए**	यू एस ए	मै0 मर्क, यू एस ए	कोई निर्यातक	**2.27**	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर
6	32	कॉस्मेटिक और ऑटोमेटिव ग्रेड को छोड़कर माइका पर्ल रंजक	कोई विनिर्देशन	**यू एस ए**	कोई देश	कोई उत्पादक	कोई निर्यातक	**2.27**	कि.ग्रा.	अमरीकी डालर

2. यह अधिसूचना के अधीन अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क भारतीय करेंसी में संदत्त किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण:— इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए प्रतिपाटन शुल्क की संगणना के लिए लागू विनिमय दर वह दर होगी जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) के उपखंड (i) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई है और "विनिमय दर" के अवधारण के लिए सुसंगत तारीख उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अधीन प्रवेश पत्र के प्रस्तुत करने की तारीख होगी ।

[फा. सं. 354/138/2004-टी.आर.यू.]

वि. शिवसुब्रमणियन, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2005

No. 30/2005-CUSTOMS

G.S.R. 183(E).— Whereas, the designated authority had initiated anti dumping investigations into the existence, degree and effect of dumping in the matter of import of Mica pearl pigment (hereinafter referred to as the subject goods), falling under Chapter 32 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from People's Republic of China, Japan, United States of America and the European Union (hereinafter referred to as the subject counties), *vide* notification No.14/22/2003-DGAD, dated the 23rd December, 2003, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 23rd December, 2003;

Whereas, the designated authority, *vide* its final findings notification No. 14/22/2003-DGAD, dated the 22nd December, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 22nd December, 2004, has come to the conclusion that -

(a) subject goods originating in or exported from subject countries have been exported to India below its normal value;

(b) the domestic industry has suffered material injury;

(c) the injury has been caused to the domestic industry by dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries;

and has recommended the imposition of definitive anti-dumping duty on all imports of the subject goods, originating in, or exported from the subject countries;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act, and rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, on the basis of the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under Chapter 32 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), the specification of which is specified in column (4) of the said Table, originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), and produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (7), when exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (6), by the exporters as specified in the corresponding entry in column (8), and imported into India, an anti-dumping duty at a rate which is equivalent to the amount as specified in the corresponding entry in column (9), in the currency as specified in the corresponding entry in column (11) and per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (10), of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Chapter	Description of goods	Specification	Country of origin	Country of Export	Producer	Exporter	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	32	Mica pearl pigment excluding cosmetic and automotive grade	Any specification	EU	EU	M/s. Merck, Germany	M/s. Merck, Germany	1.25	Kg.	US Dollar
2.	32	Mica pearl pigment excluding cosmetic and automotive grade	Any specification	EU	EU	M/s. Merck, Germany	Any exporter	1.25	Kg.	US Dollar
3.	32	Mica pearl pigment excluding cosmetic and automotive grade	Any specification	EU	Any country	Any producer	Any exporter	1.25	Kg.	US Dollar
4.	32	Mica pearl pigment excluding cosmetic and automotive grade	Any specification	USA	USA	M/s. Merck, USA	M/s. Merck, USA	2.27	Kg.	US Dollar
5.	32	Mica pearl pigment excluding cosmetic and automotive grade	Any specification	USA	USA	M/s. Merck, USA	Any exporter	2.27	Kg.	US Dollar
6.	32	Mica pearl pigment excluding cosmetic and automotive grade	Any specification	USA	Any country	Any producer	Any exporter	2.27	Kg.	US Dollar

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be paid in Indian currency.

Explanation. - For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by sub-clause (i) of clause (a) of sub-section (3) of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act.

[F. No. 354/138/2004-TRU]

V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.